माननीय न्यायमूर्ति मुकुल मुडगल, सी.जे., जसबीर सिंह और राजीव भल्ला, जे.जे.

डॉ. ए.सी. नागपाल और *OTHERS,* — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा की स्थिति और *अन्य, उत्तरदाता*

1999 का C.W.P नंबर 1058

22 अप्रैल 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-Ss.128 (1) (d) और 200 (x)-हरियाणा नगरपालिका (खतरनाक और आक्रामक व्यापार) उपनियम, 1982-जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998- राज्य सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1998 को जारी अधिसूचना, जिसमें उप-कानूनों में संशोधन किया गया है और अनुसूची में याचिकाकर्ता क्लीनिकों को क्रम संख्या में शामिल किया गया है। 1982 का 45 और 46 बाय-लॉज़संशोधन की घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय 1973 के अधिनियम के उपबंधों को अधिकार से बाहर करता है-पूर्ण न्यायपीठ के प्रति निर्देश-प्रविष्टि 45 और 46 जो 1973 के अधिनियम की धारा 200 के खंड (x) के प्रति निर्देश्य हैं। 128 (1) (घ) आपत्तिजनक या अस्वास्थ्यकर गंध, गैस, शोर और धुआं उत्पन्न करने वाले व्यवसाय के स्थान के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत के उपयोगकर्ता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। 200 (x) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उन भवनों के पंजीकरण, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए उपनियम बना सकती है जिनका उपयोग संक्रामक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है।- याचिकाकर्ता पहले से ही 1998 के नियमों का पालन कर रहे हैं और सुरक्षा उपायों का ध्यान रख रहे हैं- S.128 (1) (d) में होने वाली व्यवसाय की अभिव्यक्ति स्थान-की परिभाषा-नर्सिंग होम को टैलो के पिघलने, कच्ची खाल की ड्रेसिंग और इसी तरह के व्यवसायों के अनुरूप व्यवसाय का स्थान नहीं कहा जा सकता है जो आदतन और सामान्य रूप से व्यवसाय के दौरान

अपमानजनक गंध का उत्सर्जन करते हैं- भारतीय चिकित्सा संघ के मामले में निर्णय की शुद्धता की पुष्टि की गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 128 (1) (घ) एक मूल उपबंध होने के कारण, व्यवसाय के उस स्थान को संदर्भित करती है जिससे अप्रिय या अस्वास्थ्यकर गंध, गैस, शोर या धुआं निकलता है, जबकि धारा 200 (x) पंजीकरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं और संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के निवास या उपचार के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इमारतों के उचित विनियमन को संदर्भित करती है।इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उपनियम स्पष्ट रूप से धारा 128 में अपनी शक्तियों का पता लगाते हैं और राज्य द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जगाधरी- यमुना नगर शाखा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में डिवीजन बेंच के समक्ष ऐसा आग्रह किया गया था, इसलिए डिवीजन बेंच के तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है और वास्तव में यह बेंच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले में डिवीजन बेंच के तर्क का समर्थन करती है और इसे अपनाती है।

.

(पैरा *7*)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक नर्सिंग होम के उपयोग में कभी-कभी फैक्टरी उत्सर्जन के लिए अप्रिय हो सकता है, लेकिन इसे व्यापार का एक ऐसा स्थान नहीं कहा जा सकता है जो परमिट के मिश्रण, कच्चे खाल की ड्रेसिंग और इसी तरह के व्यवसायों के समान है जो आदतन और व्यवसाय के वार्षिक पाठ्यक्रम में आपत्तिजनक गंध उत्सर्जित करते हैं। परिणामस्वरूप हम धारा 128 (1) (घ) की व्याख्या और कारबार के स्थान की परिभाषा दोनों पर खण्डपीठ के उपर्युक्त तर्क से पूरी तरह सहमत हैं और इसके द्वारा उक्त तर्क की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, हमारा विचार है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले में निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा अति-निर्णय के योग्य नहीं है और कानून की सही स्थिति निर्धारित करता है।.

(पारस 9 और 10)

अरविंद सिंह, एडवोकेट, *सीडब्ल्यूपी नंबर 1058 में याचिकाकर्ताओं के लिए 1999.*

विपुल जिंदल, एडवोकेट, *सीडब्ल्यूपी नंबर 1821 में याचिकाकर्ता के लिए 1999.*

अनिल राथे, *Addl. ए. जी, हरियाणा.*

JUDGMENT

MUKUL MUDGAL CHIEF JUSTICE, (ORAL)

(१) यह निर्णय दो याचिकाओं का निपटान करेगा, अर्थात्. सिविल राइट PetitionsNo। 1999 का 1058 और 1999 का 1821 दोनों एक आदेश से उत्पन्न होते हैं एक डिवीजन बेंच द्वारा 30 जनवरी, 2001 के संदर्भ में का यह न्यायालय. निर्णय लेने की सुविधा के लिए, तथ्यों को सीडब्ल्यूपी नं. 1058 1999 का.

(2) 30 जनवरी, 2001 के आदेश द्वारा पूर्ण पीठ को निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित संदर्भ आदेश ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जगाधरी-यमुना नगर शाखा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सिविल रिट याचिका सं. 1999 का 898,26 जुलाई, 1999 को प्रस्तुत किया गया। उक्त निर्णय ने 20 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा उपनियमों में संशोधन को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अधिकार से बाहर घोषित किया, जहां तक प्रविष्टियों 45 और 46 का संबंध था। विद्वत खंड पीठ ने निर्देशात्मक आदेश में उक्त निर्णय की शुद्धता पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि आक्षेपित प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 200 के खंड (x) के लिए संदर्भित थीं। एक पूर्ण पीठ का संदर्भ इस आधार पर भी दिया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 128 (1) (घ) में आने वाली 'व्यवसाय का स्थान' अभिव्यक्ति का सही अर्थ नहीं दिया गया है। डिवीजन बेंच ने उपरोक्त कथित त्रुटि के आधार पर मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया.

(3) (3) पक्षकारों के विद्वान वकील ने हमें सूचित किया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में निर्णय हरियाणा राज्य द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है और अंतिम हो गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमें यह भी सूचित किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 200 (x) के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता के संबंधित अपशिष्ट/उप-उत्पादों के किसी भी उत्सर्जन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और अब यह जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998 द्वारा नियंत्रित है।.

(4) उक्त अधिनियम की धारा 128 (1) (डी) और 200 (एक्स) के रूप में पढ़ता है इस प्रकार है :

"128. आक्रामक और खतरनाक व्यापार का विनियमन। — (१) नगरपालिका के भीतर किसी भी स्थान का उपयोग किसी के लिए नहीं किया जाएगा निम्नलिखित उद्देश्य, अर्थात्,

(a) xxx

(b) xxx

(c) xxx

(d) कोई अन्य कारख़ाना इंजन-हाउस, स्टोर-हाउस या जगह जिसमें से आपत्तिजनक या अनहोनी बदबू आती है, गैस, शोर या धुआं उठता है.

200. सामान्य उपनियम-राज्य सरकार उपनियमों को सभी या किसी नगरपालिका पर लागू करेगी, जैसा कि वह अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, जिसके द्वारा समितियां

(ए) से (डब्ल्यू)

(x) संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के निवास या उपचार के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले भवन के पंजीकरण, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए और ऐसे भवनों में या ऐसे भवनों के हिस्से में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या को सीमित करने के लिए उपबंध करना।। "."

(५) यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों प्रावधान उदासीन संदर्भों को संचालित करते हैं। धारा 128 (1) (डी) एक मूल प्रावधान होने के नाते, व्यवसाय के उस स्थान को संदर्भित करता है जहां से आपत्तिजनक या अस्वास्थ्यकर गंध, गैस, शोर या धुआं निकलता है, जबकि धारा 200 (एक्स) संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के निवास या उपचार के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इमारतों के पंजीकरण, निरीक्षण और उचित विनियमन के प्रक्रियात्मक पहलुओं को संदर्भित करती है। तदनुसार, हमारा विचार है कि रेफरल का उत्तर निम्नलिखित कारणों से भारतीय चिकित्सा संघ के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय की शुद्धता की पुष्टि करके दिया जाना आवश्यक है:: -
"(ए) धारा 128 (1) (घ) में आपत्तिजनक या अस्वास्थ्यकर गंध, गैस, शोर और धुआं उत्पन्न करने वाले व्यवसाय के स्थान के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन के उपयोगकर्ता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है और;
धारा 200 (x) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उन भवनों की संतुष्टि, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए उपनियम बना सकती है जिनका उपयोग उन संक्रामक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है जिनसे व्यक्ति पीड़ित हैं।

.

(b) याचिकाकर्ता पहले ही बायो-मेडिकल का अनुपालन कर चुके हैं अपशिष्ट (प्रबंधन) और हैंडलिंग) नियम, 1998, और इसलिए, सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है.

(c) राज्य ने भारतीय चिकित्सा संघ के मामले में निर्णय की शुद्धता को स्वीकार किया था। (supra)..

(६) इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा संघ के मामले (उपर्युक्त) में माननीय खंड पीठ के समक्ष आक्षेपित उपनियमों के खंड 2 और 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुज्ञप्ति धारा 128 के अधीन प्राप्त की जानी थी। उक्त उपनियम 2 और 6 निम्नानुसार हैं:-"उपनियमों के खंड 2 और 6:

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 128 के अधीन उस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों के लिए अनुज्ञप्ति समिति द्वारा ऐसे परिसरों के मालिकों या अधिभोगियों के आवेदन पर प्रदान की जा सकती है और समिति द्वारा नियुक्त ऑफसर द्वारा जारी की जाएगी। इन उपनियमों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर और अन्य मामलों में जो धारा 128 की उपधारा (3) के तहत उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं और उपनियमों में विस्तृत शर्तों पर इन उपनियमों के साथ जोड़ा गया है। 6:
बशर्ते कि एक स्थान पर किए गए ऐसे प्रत्येक व्यापार या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंस शुल्क और इन उपनियमों की अनुसूची में क्रम संख्या में सूचीबद्ध होने के लिए उन क्रम संख्याओं को छोड़कर नकद क्रम संख्या के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिसमें यह अन्यथा इंगित किया गया है,

,

xx xxxx

6. उप-कानून 2 के तहत जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस के अधीन होगा निम्नलिखित शर्तें, अर्थात् :

(a) कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी उचित समय पर, समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अनुज्ञा के बिना, अनुज्ञप्ति परिसर का निरीक्षण करेगा:

(b) कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को सदैव अनुज्ञप्ति परिसर में रखेगा और मांग करने पर खंड (क) के अधीन समिति द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।)

(c) कि अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त अग्निशामक उपकरणों के प्रावधान सहित आग के किसी भी प्रकोप के विलुप्त होने के लिए समिति की संतुष्टि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा:

(d) कि अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर को स्वच्छ और स्वच्छता की स्थिति में रखने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र

होंगे और उन्हें नगर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को उसमें नियोजित कामगारों के उपयोग के लिए पर्याप्त पेयजल सुविधाएं, वायु संचार, उपयुक्त नालियां, शौचालय, मूत्रालय और अन्य स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करेंगे::

(ई) (i) कि अनुज्ञप्तिधारी समिति की अनुमति के बिना आवासीय प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति परिसर का उपयोग नहीं करेगाः :

0[1]) कि अनुज्ञप्तिधारी कार्यशाला या कारखाना स्थापित नहीं करेगा या हाथ से संचालित वाणिज्यिक दुकान या कार्यशाला या कारखाने में निर्माण नहीं करेगा या आवासीय क्षेत्र में विद्युत शक्ति या तेल इंजन या भाप इंजन या बॉयलर या तेल से चलने वाली भट्टी या विद्युत भट्टी की सहायता नहीं लेगा।.

(1) कि लाइसेंसधारी किसी भी काम को लाइसेंस प्राप्त परिसर में करने की अनुमति नहीं देगा, जो गर्मियों में 7.00 p.m. और 6.00 a.m. के बीच और सर्दियों में 7.00 p.m. और 7.00 a.m. के बीच जोरदार और आक्रामक शोर पैदा करता है, जबकि उसे समिति द्वारा इस ओर से विशेष रूप से अनुमति दी गई है; कि परिसर में जहां तेल इंजनों का उपयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील तेल वाले कमरों का इंजन कक्ष के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होगाः;

(g) खतरनाक रूप से ज्वलनशील सामग्री के भंडारण के मामले में, लाइसेंसधारी से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 192 और 193 के तहत समिति द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निषेधों और निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी;:

(h) कि आटा मिल के मामले में, लाइसेंसधारी मिलिंग के लिए प्राप्त सभी अनाज या दालों को एक उपयुक्त कमरे या कमरों में संग्रहीत करेगा, जिनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और चूहा-प्रतिरोधी होगा, और मिलिंग द्वारा उत्पादित सभी आटा या दालों को समान रूप से संग्रहीत किया जाएगाः ;

O आटा चक्की के मामले में, लाइसेंसधारी सभी को संग्रहीत करेगा उपयुक्त कमरे में मिलिंग के लिए प्राप्त अनाज या दालें या कमरे जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाएंगे और चूहे के सबूत होंगे, और मिलिंग द्वारा उत्पादित सभी आटा या दालें इसी तरह संग्रहीत किया जाएगा :

(जे) कि अनुज्ञप्तिधारी कार्य करने की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित सभी गैसों, अमोनिया या वाष्पों को अशुद्ध करने के लिए समिति की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम व्यवहार्य साधन अपनाएगा और प्रत्येक मामले में ऐसी गैसों, अमोनिया या वाष्पों को बाहरी हवा में इस तरह से और ऐसी ऊंचाई पर उत्सर्जित करेगा कि वे पड़ोस में कोई हानिकारक या हानिकारक प्रभाव पैदा किए बिना इन गैसों के उचित प्रसार को स्वीकार करें, या ऐसी गैसों को आग के माध्यम से या संघनन उपकरण

में निकास पाइप (या ऐसी गैसों के लिए अन्य निकास) से गुजरने का कारण बनाएगा और फिर आग के माध्यम से इस तरह से प्रभावी रूप से ऐसी गैसों का उपभोग करेगा ताकि सभी हानिकारक या हानिकारक गुणों से उन्हें वंचित किया जा सके;

;

(k) (ट) उस परिसर में जहां निर्माण की प्रक्रिया में कोयले के दहन से धुआं उत्पन्न होता है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपकरण का उपयोग करेगा जो यथासंभव धुएं का उपभोग करेगा।"

(7) चूंकि उपनियम स्पष्ट रूप से धारा 128 में अपनी शक्तियों का पता लगाते हैं और राज्य द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले (उपर्युक्त) में डिवीजन बेंच के समक्ष ऐसा आग्रह किया गया था, इसलिए डिवीजन बेंच के तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है और वास्तव में यह बेंच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले में डिवीजन बेंच के तर्क का समर्थन करती है और इसे अपनाती है। (supra).

(8) जहां तक "व्यवसाय के स्थान" वाक्यांश को दिए जाने वाले अर्थ का संबंध है, डिवीजन बेंच ने रेफरल आदेश में केवल यह कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय व्यवसाय के स्थान के बारे में यह बताए बिना कि त्रुटि क्या है, सही नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले (उपर्युक्त) में डिवीजन बेंच ने 'व्यवसाय के स्थान' से संबंधित मुद्दे पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की थीः -: -

"धारा 128 (I) और खंड (ए) से (एफ) के मूल भाग को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को करने के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थानों के उपयोग को विनियमित और प्रतिबंधित करने की दृष्टि से, जो जीवित प्राणियों के लिए या तो आपत्तिजनक या खतरनाक हैं, विधानमंडल ने लाइसेंस के लिए एक प्रावधान किया है और नगर समिति को लाइसेंस देने से इनकार करने का भी अधिकार दिया है यदि यह इस निष्कर्ष पर आता है कि ऐसी गतिविधि शिकायत का कारण बनेगी या निकट पड़ोस में रहने वाले या आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक होगी जो खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर के उपयोग के लिए जुर्माने के रूप में जुर्माना लगाने का भी प्रावधान करता है। उप-कानून धारा 128 के तहत लाइसेंस देने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और यह भी

निर्धारित करते हैं कि इस तरह के लाइसेंस के अधीन शर्तें दी जा सकती हैं।

"

"इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नर्सिंग होम पेशेवरों को चिकित्सा उपचार प्रदान करके बड़े पैमाने पर जनता की सेवा करने के लिए हैं। नर्सिंग होम से संबंधित गतिविधियों का एक वाणिज्यिक कोण है, क्योंकि निजी नर्सिंग होम में उपचार लेने वाले लोगों से सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों की तुलना में बहुत अधिक शुल्क और लागत ली जाती है और इस दृष्टिकोण से, एक निजी नर्सिंग होम के संचालन को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा और अन्य, AIR 1978 SC 548 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-भारतीय चिकित्सा संघ बनाम V.P. के अर्थ के भीतर एक सेवा के रूप में माना जा सकता है। शांता और अन्य, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 550, लेकिन इस तरह की किसी भी गतिविधि के किसी भी विस्तार को परमिट के पिघलने, कच्चे खाल की ड्रेसिंग, हड्डियों के उबलने, ऑफल या खून, साबुन घर, तेल-उबलने वाले घर, मरने वाले घर, चमड़ा, ईंट के खेत, ईंट-भट्टे, लकड़ी का कोयला-भट्टे के बर्तन या लाइन-भट्टे, मैन्यूफैक्टरी, इंजन हाउस, यार्ड या डिपो के समानार्थी या समानार्थी के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

(9) हम डिवीजन बेंच के उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। एक नर्सिंग होम के उपयोग में कभी-कभी अप्रिय फैक्टरी उत्सर्जन हो सकता है, लेकिन इसे टैलो के पिघलने, कच्चे खाल की ड्रेसिंग और इसी तरह के व्यवसायों के समान व्यवसाय का स्थान नहीं कहा जा सकता है जो आदतन और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आक्रामक गंध का उत्सर्जन करते हैं।**.**

(10) परिणामस्वरूप हम S.128 (1) (d) की व्याख्या और व्यवसाय के स्थान की परिभाषा दोनों पर डिवीजन बेंच के उपरोक्त तर्क के साथ पूरी तरह से सहमत हैं और इसके द्वारा उक्त तर्क की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, हमारा विचार है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा अति-निर्णय के योग्य नहीं है और कानून की सही स्थिति निर्धारित करता है। संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया जाता है और निपटाया जाता है। इन रिट याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचा है और भारतीय चिकित्सा संघ के मामले में न्यायाधीश के संदर्भ में भी इसका निपटारा किया जाता है (supra)*)*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ,
रेवाडी (**हरियाणा**)